न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 36 सन 2022

अनवान :–

1. रूपराम पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. मुखराम पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सरबती पुत्री घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. सुन्दरदेवी पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. माया पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
7. सीता पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. कालुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 86/86 की कुल 1.7710हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 77/78 की कुल 2.0240हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व सजनादेवी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा घडसीराम वल्द जालूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा घडसीराम वल्द जालूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि घडसीराम पुत्र जालूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई अर्थात विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। सजनादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 है जो सजनादेवी के हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है भूमि काश्त की सूविधा व परिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 जो प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 प्रतिवादी संख्या 8 की बहने है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्याा 2 ,3 8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वदीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एवं मृतक सजनादेवी के नाम से दर्ज है वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,8 के हक हिस्सा की भूमि जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज घडसीराम पुत्र जालुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व मृतक सजनादेवी के नाम से दर्ज है सजनादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 है तथा वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के परिवारिक समझौता में प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/माता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 86/86 की कुल 1.7710हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 77/78 की कुल 2.0240हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व सजनादेवी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा घडसीराम वल्द जालूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा घडसीराम वल्द जालूराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि घडसीराम पुत्र जालूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई अर्थात विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। सजनादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 है जो सजनादेवी के हक हिस्सा की भूमि पाने के अधिकारी है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है भूमि काश्त की सूविधा व परिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 जो प्रतिवादी संख्या 3 के पुत्र है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 प्रतिवादी संख्या 8 की बहने है प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्याा 2 ,3 8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 86/86 की कुल 1.7710हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 77/78 की कुल 2.0240हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व सजनादेवी के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि घडसीराम वल्द जालूराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादीगण के घडसीराम वल्द जालूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादीगण एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 8 एवं मृतक सजनादेवी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि सजनादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 है जो सजनादेवी के नाम से दर्ज भूमि के हकदार है प्रतिवादी संख्या 6 ,7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में किया हुआ है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ,5 ने परिवारिक समझौता में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपनी माता/भाईयो के वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या1 ,2 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 86/86 की कुल 1.7710हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि व रोही मोजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 77/78 की कुल 2.0240हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वाादीगण संख्या 1 ता 3व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा मृतक सजनादेवी पत्नी रामप्रताप के नाम दर्ज 1/192 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 77/78 की कुल 2.0240हैक में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 11/60 हिस्सा में से 0.1518हैक वादी संख्या 1 व 0.1518हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व शेष 0.0506हैक वादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर(हनुमानगढ़)
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रूपराम पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. मुखराम पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. सरबती पुत्री घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र घडसीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. सुन्दरदेवी पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. महावीर पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. माया पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
7. सीता पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. कालुराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 36 सन 2022 निर्णय दिनांक– 04/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 86/86 की कुल 1.7710हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि व रोही मोजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 77/78 की कुल 2.0240हैक में से 1/12 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा मृतक सजनादेवी पत्नी रागप्रताप के नाम दर्ज 1/192 हिस्सा भूमि में नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 77/78 की कुल 2.0240हैक में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 11/60 हिस्सा में से 0.1518हैक वादी संख्या 1 व 0.1518हैक प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व शेष 0.0506हैक वादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner